न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

झारखण्ड सरकार
पु० अ० नि० अमरदीप थाना प्रभारी सोनाहातु थाना राँची ......बनाम......राज कुमार ओझा वगैरह

क्र० / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	अभिलेख सं०–एम......54...../2018 धारा–107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी सोनाहातु...... के अप्राथमिकी सं०–09/18 दिनांक–7-5-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि विधान सभा उप चुनाव के दौरान अशांति फैलाने की संभावना । जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्रवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 25-5-18...... को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित [signature] कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। [signature] 9/5/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।	
25-05-18	अभिलेख उपस्थापित । द्वितीय पक्ष क्रमांक 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 उपस्थित अन्य सभी अनुपस्थित । दिनांक 28-05-18 को रखें । [signature] 25/5/18	

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
22-10-18	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष जवाब दाखिल करे। दिनांक- 5-11-18 को रखें। (हस्ताक्षर) 22/10/18
05/11/18	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष जवाब दाखिल करें। दिनांक 30/11/18 को रखें। (हस्ताक्षर) 05/11/18
30-11-19	अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी अनुपस्थित। विधान सभा उप चुनाव शांति भंग रखने के संबंध में हो गई है अतः वाद के अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है। (हस्ताक्षर) 30/11/18

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 14:41:28 +05:30
Location: 192.168.43.107